

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जनपद-कन्नौज।

सेवा में,

जे०पी० एजुकेशन अकादमी  
ग्राम ऊँचा (इन्द्रानगर) गुरसहायगंज  
वि०ख० तालग्राम जनपद कन्नौज।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/ 20018-22

/2018-19 दिनांक :- 12-02-2019

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

आपके आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2018 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मे जे०पी० एजुकेशन अकादमी ग्राम ऊँचा (इन्द्रानगर) गुरसहायगंज, वि०ख० तालग्राम जनपद कन्नौज को दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए पी०जी० से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान किया करने का संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्याधीन है।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
  - I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
  - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बालक को नियम 25 के अधीन अधिवर्चित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशुल्क ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेदन दिया जाना।
  - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम, 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु वह यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।
  - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
  - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों के नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
  - (क) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 37500 वर्ग फीट
  - (ख) कुल निर्मित क्षेत्र :- 18000 वर्ग फीट
  - (ग) क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल :-

AMARENDRA SINGH  
PRINCIPAL

J. P. EDUCATION ACADEMY  
Indra Nagar, Tirwa Road, Gursahaiganj, Kannauj (U.P.)

INDRA KUMAR GUPTA  
MANAGER  
J. P. EDUCATION ACADEMY  
Indra Nagar, Tirwa Road, Gursahaiganj, Kannauj (U.P.)

(घ) कक्षाओं की संख्या :- 10

(च) पञ्चानाद्यापक-संघ-कार्यालय-सह भांडागार के लिए संक्षिप्त :- 04

(च) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय :- 02 बालक एवं 02 बालिका

(छ) पेयजल सुविधा :- हैण्डपम्प, समरसेबिल एवं टंकी

(ज) मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई :-

(झ) बाधारहित पहुंच :-

(ञ) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता :- है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक ..... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्टें और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य काई शर्त।

भवदीय

*Dr.*  
12.02.2019  
(दीपिका चतुर्वेदी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
कन्नौज।

पृ०सं०/बेसिक/मान्यता/ 2 /2018-19/तददिनांक।  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० लखनऊ।
2. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-कन्नौज।
5. कार्यालय गार्ड फाइल।

AMARENDRA SINGH  
PRINCIPAL  
J. P. EDUCATION ACADEMY  
Indra Nagar, Tirwa Road, Gursahaiganj, Kannauj (U.P.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
कन्नौज।  
*Indra Kumar Gupta*  
INDRA KUMAR GUPTA  
MANAGER  
J. P. EDUCATION ACADEMY  
Indra Nagar, Tirwa Road, Gursahaiganj, Kannauj (U.P.)



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
जनपद कन्नौज।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
जे०पी०एजुकेशन अकादमी,  
गाम ऊँचा (इन्दिरा नगर) गुरसहायगंज  
विकास खण्ड-तालग्राम  
जनपद-कन्नौज।

पत्रांक / बेसिक / 4536-40

/2023-24.

दिनांक- 09/08/2023

विषय-प्रबन्धक, जे०पी०एजुकेशन अकादमी, गाम ऊँचा (इन्दिरा नगर) गुरसहायगंज, विकास खण्ड-तालग्राम, जनपद-कन्नौज की स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

अप द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 03.08.2022 को प्रबन्धक, जे०पी०एजुकेशन अकादमी, गाम ऊँचा (इन्दिरा नगर) गुरसहायगंज, विकास खण्ड-तालग्राम, जनपद-कन्नौज की पी०जी० से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम की स्थायी मान्यता हेतु पत्रावली प्रेषित करते हुए ज्ञात विद्यालय की स्थायी मान्यता किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अप द्वारा पी०जी० से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम की स्थायी मान्यता हेतु प्रस्तुत पत्रावली को सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्राप्त करते हुए आपके अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थलीय जाँच करायी गयी। खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड तालग्राम द्वारा प्रस्तुत स्थलीय जाँच आख्या के आधार पर आपके विद्यालय को पी०जी० से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम की स्थायी मान्यता हेतु जो अस्थायी प्रकृति की होगी के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या/419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 के प्रस्तर 15 में स्पष्ट है कि प्रथमता निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

अतः शासनादेश संख्या/419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 के प्रस्तर 15 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर जे०पी०एजुकेशन अकादमी, गाम ऊँचा (इन्दिरा नगर) गुरसहायगंज, विकास खण्ड-तालग्राम, जनपद-कन्नौज की पी०जी० से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम की कार्यालय के पत्रांक/मान्यता /20018-22/2018-19, दिनांक 12.02.2019 के द्वारा दी गयी अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(कौस्तुभ कुमार सिंह)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जनपद-कन्नौज

पत्रांक / बेसिक /

/2023-24.

तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कन्नौज।
2. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उत्तर प्रदेश, निशातगंज लखनऊ की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद कन्नौज।
5. कार्यालय गाई फाइल।

AMARENDRA SINGH  
PRINCIPAL  
J. P. EDUCATION ACADEMY  
Indra Nagar, Tirwa Road, Gursahaiganj, Kannauj (U.P.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जनपद-कन्नौज

INDRA KUMAR GUPTA  
MANAGER  
J. P. EDUCATION ACADEMY  
Indra Nagar, Tirwa Road, Gursahaiganj, Kannauj (U.P.)